

भारत सरकार / Government of India

भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र / Bhabha Atomic Research Centre

नाभिकीय पुनःचक्रण बोर्ड / Nuclear Recycle Board

एकीकृत नाभिकीय पुनःचक्रण संयंत्र प्रचालन / Integrated Nuclear Recycling Plant Operation

आर एंड डब्ल्यू एम, टीआरपी, तारापुर / R&WM, TRP, Tarapur

1. भारत के राष्ट्रपति की ओर से महाप्रबंधक, आर एंड डब्ल्यूएम, परमाणु रीसायकल बोर्ड, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा निम्नलिखित कार्य के लिए दो भागों में ऑनलाइन आइटम दर निविदा यानी भाग ए - पात्रता मानदंड और भाग बी - वित्तीय बोली एतद्वारा ई-निविदा मोड के माध्यम से आमंत्रित की जाती है: सीपीडब्ल्यूडी, एमईएस रेलवे, राज्य पीडब्ल्यूडी, केंद्र या राज्य सरकारों / केंद्रीय स्वायत्त निकायों के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की अनुमोदित सूची में पात्र बोलीदाताओं या जिनके पास इतने परिमाण के समान कार्यों को निष्पादित करने के लिए पर्याप्त अनुभव और क्षमताएं हैं।

i)	कार्य का नाम	थर्मैक्स के सादे ट्यूबों के प्रतिस्थापन से बॉयलर नं. एमआर-13841 और एनआरबी, बीएआरसी, तारापुर में बॉयलरों की ब्लो डाउन लाइनें।
ii)	कार्य की अवस्थिति	एनआरबी, बीएआरसी, तारापुर
iii)	अनुमानित लागत	रु. 37,00,000/- (सैंतीस लाख रुपये मात्र)।
iv)	बयाना राशि जमा (ईएमडी)	रु. 74,000/- (चौहत्तर हजार रुपये मात्र)।

टिप्पणी:-

मूल बयाना राशि "महाप्रबंधक, आर एंड डब्ल्यूएम, आईएनआरपीओ, एनआरबी, बीएआरसी, तारापुर, पता: "बीएआरसी तारापुर कॉम्प्लेक्स, पोस्ट- धिवली, तालुका और जिला- पालघर, पिन- 401502, महाराष्ट्र" के कार्यालय में पहले जमा की जाएगी। भाग-ए को खोलना अधिमानतः अनुसूचित बैंक द्वारा जारी सावधि जमा रसीद / अनुसूचित बैंक के डिमांड ड्राफ्ट / बैंकर चेक के रूप में, जो "वेतन और लेखा अधिकारी, प्रीफ्रे बीएआरसी, तारापुर" के पक्ष में "बोइसर, महाराष्ट्र" में देय हो। बयाना राशि का एक हिस्सा बैंक गारंटी के रूप में भी स्वीकार्य है। ऐसे मामले में बयाना राशि का न्यूनतम 50% या 20.00 लाख, जो भी कम हो, ऊपर निर्धारित फॉर्म में होगा और शेष राशि को "महाप्रबंधक, आर एंड डब्ल्यूएम" के पक्ष में एक अनुसूचित बैंक द्वारा जारी बैंक गारंटी के रूप में स्वीकार किया जा सकता है। आईएनआरपीओ, एनआरबी, बीएआरसी, तारापुर", निविदा भाग 'ए' के परिशिष्ट 'एफ' के अनुसार। बयाना राशि जमा के हिस्से के रूप में जमा की गई बैंक गारंटी निविदा जमा करने की तारीख से छह महीने या उससे अधिक की अवधि के लिए वैध होगी। बोली के साथ जमा की गई बयाना राशि निष्पादन गारंटी (पुष्टि के बाद) प्राप्त होने के बाद वापस कर दी जाएगी।

v)	निविदा दस्तावेज का मूल्य	शून्य
vi)	निविदा प्रक्रिया शुल्क	शून्य
vii)	समाप्ति की अवधि	4 (चार) कैलेंडर माह
viii)	निविदा दस्तावेज खरीदने/ डाउनलोड करने के लिए तारीखें (एक्सेल/वर्ड फ़ॉर्मेट)	02-07-2024 (11.00 बजे) से वेबसाइट https://eprocure.gov.in/eprocure/app पर ऑनलाइन बोली जमा करने की अंतिम तिथि और समय तक। एनआईटी केवल देखने के लिए वेबसाइट www.barc.gov.in पर भी उपलब्ध है।
ix)	बोली-पूर्व स्पष्टीकरण की तारीख एवं स्थान	बोलीदाताओं से अनुरोध है कि वे अपने बोली-पूर्व प्रश्न 09-07-2024 (14.00 बजे) से पहले ईमेल द्वारा भेजें। बोली-पूर्व बैठक 09-07-2024 को 14.00 बजे डब्ल्यूआईपी सम्मेलन कक्ष, एनआरबी, बीएआरसी, तारापुर में आयोजित की जाएगी।

		बोली-पूर्व बैठक के स्पष्टीकरण https://eprocure.gov.in/eprocure/app वेबसाइट पर 11-07-2024 तक अपलोड किए जाएंगे।
x)	निविदाओं के ऑनलाइन प्रस्तुतीकरण की अंतिम तारीख एवं समय	12-07-2024 (10.00 बजे) से 20-07-2024 (17.00 बजे) तक
xi)	भाग 'क' को ऑनलाइन खोलने की तारीख एवं समय	23-07-2024 (15:00 बजे)
Xii)	पात्र बोलीकर्ताओं के भाग 'ख' को खोलने की तिथि	टेंडर विजर्ड पर बाद की तारीख को अधिसूचित किया जाएगा।

सूचना, पात्रता मानदंड, शर्तें एवं अनुदेश

सूचना :

2. निविदा दस्तावेज दो भागों अर्थात भाग 'क' (योग्यता मानदंड से संबंधित कागजात) एवं भाग 'ख' (वित्तीय बोली) में तैयार किया गया है। भाग 'क' में योग्यता मानदंड से संबंधित कागजात है यथा : खंड I-ई निविदा आमंत्रण सूचना (अंग्रेजी और हिंदी भाषा में), खंड II- करार का प्रपत्र एवं ठेकेदारों के मार्गदर्शन हेतु सामान्य नियम एवं निदेश, ज्ञापन, खंड III- ठेके की सामान्य शर्तें, अतिरिक्त शर्तें, खंड IV- निविदाकारों को विशेष अनुदेश, खंड V- तकनीकी विनिर्देश, खंड VI- टेंडर ड्राइंग्स की सूची, खंड VII- अनुसूची 'ख' क प्रोफार्मा। भाग 'ख' (वित्तीय बोली) में अनुसूची 'क'-प्रमात्राओं एवं दरों की अनुसूची है।

भावी बोलीकर्ता या सामान्य जन उक्त दस्तावेजों को वेबसाइट <https://eprocure.gov.in/eprocure/app> नाभिकीय पुनः चक्रण बोर्ड से देख सकते हैं एवं इसके पीडीएफ फॉर्मेट को निःशुल्क डाउनलोड कर सकते हैं।

निविदा में भाग लेने के लिए, भावी बोलीकर्ताओं से अपेक्षा की जाती है कि वे अपने यूज़र आईडी/पासवर्ड एवं क्लास III डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र के साथ वेबसाइट <https://eprocure.gov.in/eprocure/app> के होमपेज में लॉगइन करने के बाद भाग-क-तकनीकी वाणिज्यिक शीट वाली योग्यता मानदंड से संबंधित कागजात, अनुलग्नक क, पूरे किए गए समान कार्यों की सूची एवं हाथ में लिए गए कार्यों की सूची और भाग 'ख'- अनुसूची 'क' वाली वित्तीय बोली के एक्सेल फॉर्मेट को डाउनलोड करें।

भावी बोलीकर्ताओंको एक्सेल दस्तावेज भरने होंगे और उन्हें पुनः नाम **(renaming)** दिए बिना इसे अपलोड करना होगा। कृपया निविदा के प्रस्तुतीकरण हेतु हेल्प मैनुअल रेफर करें अथवा एनआईटी के अनुसार हेल्प डेस्क से संपर्क करें।

उल्लिखित कार्यों के लिए निविदा ड्राइंग (धारा VI) का एक सेट बोली लगाने वाले को केवल "एजीएम (मैकेनिकल), आईएनआरपीओ, एनआरबी, बीएआरसी, तारापुर के कार्यालय में निरीक्षण के लिए उपलब्ध कराया जाएगा।

पता: "बीएआरसी तारापुर कॉम्प्लेक्स, पोस्ट- धिवली, तालुका और जिला- पालघर, पिन- 401502, महाराष्ट्र" निविदा जमा करने के अंतिम दिन से एक कार्य दिवस पहले तक और यदि आवश्यक हो तो बोली लगाने वाले ड्राइंग का अध्ययन करने के लिए व्यक्तिगत रूप से आ सकते हैं और यह वेबसाइट पर उपलब्ध नहीं होगा।

संभावित बोलीदाता या उसके अधिकृत प्रतिनिधि को पासपोर्ट, मतदाता पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस जैसी फोटो पहचान लानी होगी; **BARC** परिसर में प्रवेश के लिए पैन कार्ड, जो एक प्रतिबंधित स्थान है। एनआरबी, बीएआरसी, तारापुर में प्रवेश की व्यवस्था करने के लिए बोली लगाने वाले को फोन या ईमेल पर पूर्व सूचना लेनी होगी।

उपरोक्त सभी दस्तावेज़ सफल बोलीदाता को कार्य सौंपे जाने के बाद समझौते का हिस्सा बनेंगे।

आरंभिक पात्रता मानदंड:

3. बोलीकर्ता के पास निम्नलिखित होना चाहिए :
- (क) ठेकेदारों के समुचित वर्ग, यदि कोई है, में पंजीयन।
- (ख) बोली लगाने वाले को आईबीआर के साथ पंजीकृत होना चाहिए।
- (ग) एक अनुसूचित बैंक का बैंक सॉल्वेंसी सर्टिफिकेट न्यूनतम रु। **14,80,000/-** और निविदा खुलने की तिथि से एक वर्ष से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए।

- (घ) औसत वार्षिक वित्तीय कारोबार कम से कम रुपये होना चाहिए। **18,50,000/-**, 31 मार्च 2023 को समाप्त होने वाले पिछले तीन लगातार वित्तीय वर्षों के दौरान। यह एक पंजीकृत चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा विधिवत लेखा परीक्षा की जानी चाहिए (चार्टर्ड एकाउंटेंट से प्रमाण पत्र की स्कैन कॉपी अपलोड की जानी चाहिए)। जिस वर्ष में कोई कारोबार नहीं दिखाया गया है , औसत निकालने के लिए भी विचार किया जाएगा।
- (ङ) **31 मार्च 2023** को समाप्त पिछले पांच वर्षों के दौरान दो वर्षों से अधिक में कोई नुकसान नहीं हुआ है। इसे पंजीकृत चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा विधिवत प्रमाणित और ऑडिट किया जाना चाहिए।
- (च) पिछले **7 वर्षों** में किए गए समान कार्य ।
- (छ) कार्यनिष्पादन प्रमाणपत्र
- (ज) समय पर कार्य पूरा करने के लिए निर्माण संयंत्र एवं मशीनरी, उपस्करों, उपसाधनों तथा अन्य अवसंरचनात्मक सुविधाएं ।
- (झ) आवश्यक तकनीकी स्टाफ।
- (ञ) वैध जीएसटी पंजीकरण प्रमाण-पत्र (जीएसटीआईएन सं.)
- (ट) स्थायी खाता सं (पैन) ।
- (ठ) पी एफ पंजीकरण सं. ।
- (ड) विभिन्न क्लायंटों हेतु किए गये कार्य के मूल्य के सबूत हेतु टीडीएस प्रमाण-पत्र
- (ढ) चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट से वित्तीय टर्न ओवर का प्रमाण-पत्र, तुलन-पत्र एवं पिछले पाँच वर्षों का आईटीआर ।
- (ण) ठेकेदार यह घोषणा करेंगे कि उन्हें किसी प्राधिकारी/एजेंसी के द्वारा निविदा करने से डिबार नहीं किया गया है ।
- (त) जिस माह में निविदा के लिए आवेदन आमंत्रित किया जाता है, उसके पूर्व माह के अंतिम दिन को समाप्त होने वाले सात (07) वर्षों के दौरान समान कार्य को सफलतापूर्वक पूरा किये गये जाने का अनुभव । निविदा प्रस्तुतिकरण के अंतिम तारीख के पूर्व दिवस तक पूरा किये गये कार्यों पर भी विचार किया जाएगा । संयुक्त उद्यम स्वीकार्य नहीं हैं ।
4. बिडरों द्वारा संतोषजनक रूप से पूरा (कार्यों के क्लाइंटों द्वारा कार्यनिष्पादन के प्रमाणन पर आधारित) कार्य किया जाना चाहिए ।
- (i) 3 (तीन) समान कार्य, जिनमें से प्रत्येक का मूल्य अनुमानित लागत के 40% से कम न हो (अर्थात रु. 14,80,000/-), अथवा
- (ii) 2 (दो) समान कार्य, जिनमें से प्रत्येक का मूल्य अनुमानित लागत के 60% से कम न हो (अर्थात रु. 22,20,000/-) अथवा
- (iii) 1 (एक) समान कार्य जिसका मूल्य अनुमानित लागत के 80% से कम न हो (अर्थात रु. 29,60,000/-)
- (iv) ऐसे मामले में जब अनुमानित लागत बीस करोड़ से अधिक हो, उपरोक्त के अतिरिक्त , किसी केंद्र सरकार के विभाग/राज्य सरकार के विभाग/केंद्रीय स्वायत्त निकाय/राज्य स्वायत्त निकाय / केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम/राज्य सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम/शहर विकास प्राधिकरण/केंद्र/राज्य सरकार के किसी अधिनियम के अधीन निर्मित तथा केंद्र/राज्य के राजपत्र में प्रकाशित शहर के म्यूनीशियल कॉर्पोरेशन के साथ निविदा के अनुमानित लागत के 40% के बराबर की राशि से कम न होने पर (या तो उपरोक्त कार्य का भाग अथवा एक पृथक कार्य) से संबंधित किसी प्रकृति का पूर्ण किया गया एक कार्य ।
- (कार्य के क्लायंट द्वारा कार्य निष्पादन के प्रमाणन पर आधारित) संतोषजनक रूप से पूरा किया होना चाहिए तथा यदि योग्य समान कार्य केंद्रीय सरकार/राज्य सरकार/केंद्र अथवा राज्य सरकारों के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/केंद्रीय स्वायत्त निकाय में न किया गया हो, उसके के लिए बिडर द्वारा टीडीएस प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया जाना चाहिए ।
5. अर्हता के उद्देश्य के लिए "कार्य के कीमत" का अर्थ उन सामग्रियों, जिनकी मुफ्त में आपूर्ति की गयी है, को छोड़कर सरकार/क्लायंटों द्वारा आपूर्ति की गयी सामग्रियों की कीमत सहित पूरा किये गये कार्य का समग्र मूल्य होगा । इस क्लॉज के उद्देश्य के लिए इसी प्रकार के कार्य का तात्पर्य है "आईबीआर पाइपिंग/कोई भी आईबीआर निर्माण कार्य"
6. निष्पादित कार्य के मूल्य को **7%** प्रति वर्ष की सामान्य दर पर कार्य की वास्तविक मूल्य में वृद्धि करते हुए वर्तमान लागत स्तर तक लाया जाएगा जिसका परिकलन पूर्णता की तारीख से निविदा कागजात के क्रय/डाउनलोड करने के लिए अनुरोध की आखिरी तारीख तक किया जाएगा ।
7. ठेकेदार की बोली लगाने की क्षमता कार्य के अनुमानित कीमत के बराबर अथवा उससे अधिक होना चाहिए । बोली लगाने की क्षमता को निम्नलिखित सूत्र द्वारा तय किया जाएगा:

$$\text{बोली लगाने की क्षमता} = (A \times N \times 2) - B$$

जहाँ A = पूरा किये गये तथा जारी कार्य को ध्यान में रखते हुए पिछले 5 वर्षों के दौरान किसी एक वर्ष में किये गये कार्य में अधिकतम टर्नओवर । पूर्ण किए गए कार्य के मूल्य को %7प्रतिवर्ष के साधारण दर से बढ़ा करके वर्तमान लागत स्तर तक लाया जाएगा ।

N= कार्य, जिसके लिए बिड आमंत्रित किये गये हैं, की पूर्णता हेतु निर्धारित किये गये वर्षों की संख्या।

B = कार्य, जिसके लिए बिड आमंत्रित किये गये हैं, की पूर्णता की अवधि के दौरान चल रहे कार्यों को पूरा किया जाना तथा वर्तमान प्रतिबद्धताएं।

8. भले ही कोई भी बोली लगाने वाला उपरोक्त आवश्यकताओं को पूरा कर सकता है, फिर भी वह अयोग्यता के लिए उत्तरदायी होगा, यदि:
- (i) बोली लगाने वाले ने पात्रता मानदंड दस्तावेज़ में आवश्यक प्रपत्रों, विवरणों और संलग्नकों में भ्रामक या गलत प्रतिनिधित्व किया है या जानबूझकर जानकारी छिपाई है,
- (ii) बोली लगाने वाले के पास खराब प्रदर्शन का रिकॉर्ड है जैसे कि काम छोड़ना, अनुबंध को ठीक से पूरा न करना या वित्तीय विफलताएं/कमजोरियां आदि।
- (iii) बोली लगाने वाला अनुचित लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से किसी भी कदाचार या धोखाधड़ी गतिविधियों में शामिल रहा है।
- (iv) यदि डीएई सिक्वोरिटी से बोली लगाने वाले के खिलाफ कोई प्रतिकूल इनपुट प्राप्त हुआ हो।
9. बोलीकर्ता भारत में एक पंजीकृत फर्म होना चाहिए। संयुक्त उद्यम तथा /अथवा कंसोर्टियम स्वीकार्य नहीं है।

शर्तें :

10. निविदा के भाग 'क' के खुलने के पश्चात, सक्षम प्राधिकारी, एक निरीक्षण दल गठित करेंगे, जो निम्नलिखित आधार पर आधारित निविदाकारों के चयनित चालू कार्य क्षेत्रों/ पूर्ण किए गए कार्यों का निरीक्षण किया जाएगा ताकि क्षमता का मूल्यांकन किया जा सके: -
- क) वित्तीय क्षमता एवं पिछले 5 वर्षों के दौरान उनका टर्नओवर।
- ख) संबंधित कार्य के संदर्भ में कंपनी की तकनीकी क्षमताएं।
- ग) पिछले 7 वर्षों के दौरान निविदाकार द्वारा निष्पादित कार्यों का स्वरूप।
- घ) कंपनी की संगठनात्मक संरचना।
- च) कंपनी द्वारा संबंधित कार्य करने हेतु अपेक्षित आवश्यक संसाधन।
- छ) समय एवं गुणवत्ता की सजगता।
- ज) असंगत दावे एवं विवाद करने की कंपनी की प्रवृत्ति।
- झ) क्षेत्र नियोजन क्षमता।
- ट) कंपनी की कार्य को बैंक टू बैंक/उप किरायेदारी पर सौंपने की प्रवृत्ति।

पात्रता मानदंड से संबंधित दस्तावेजों का मूल्यांकन: यह एनआईटी में संदर्भित पात्रता मानदंडों के आधार पर वित्तीय बोली खोलने से पहले सीपीडब्ल्यूडी वर्क्स मैनुअल 2014 के परिशिष्ट -20 के अनुलग्नक -1 के अनुरूप किया जाएगा।

बोलियों का वित्तीय मूल्यांकन: वित्तीय बोली खोलने की तारीख उन बोलीदाताओं को बताई जाएगी जिनका भाग-ए (पात्रता मानदंड से संबंधित दस्तावेज) विभाग के लिए संतोषजनक पाया जाएगा और ऐसे बोलीदाताओं का ही भाग-बी (वित्तीय बोली) खोला जाएगा।

संकेतित कार्य की अनुमानित लागत केवल अनुमानित है और ठेकेदार को दरों की विस्तृत गणना करनी होगी।

11. आवेदक को एक सार्वजनिक नोटरी द्वारा सत्यापित 100 रुपये के स्टॉप पेपर पर निम्नलिखित प्रारूप में भाग-बी खोलने से पहले मूल रूप में एक हलफनामा भी प्रस्तुत करना चाहिए:

"मैं/हम वचन देते हैं और पुष्टि करते हैं कि पात्र समान कार्य (कार्यों) को किसी अन्य ठेकेदार के माध्यम से बैंक टू बैंक आधार पर निष्पादित नहीं किया गया है। हम पुष्टि करते हैं कि कंपनी परिसमापन के अधीन नहीं है। इसके अलावा, हम समझ गए हैं कि यदि इस तरह का उल्लंघन विभाग के संज्ञान में आता है, तो मुझे/हमें भविष्य में एनआरबी, बीएआरसी अनुबंधों में निविदा देने से वंचित किया जा सकता है।"

"मैंने भारत के साथ भूमि सीमा साझा करने वाले देश के बोली लगाने वाले से खरीद पर प्रतिबंध और ऐसे देशों के ठेकेदारों को उप-ठेके पर देने के संबंध में अनुबंध- I में खंड पढ़ा है; मैं प्रमाणित करता हूँ कि यह बोलीदाता ऐसे देश से नहीं है या, यदि ऐसे देश से, सक्षम प्राधिकारी के साथ पंजीकृत किया गया है और ऐसे देशों के किसी ठेकेदार को तब तक उप-अनुबंध नहीं करेगा जब तक कि ऐसा ठेकेदार सक्षम प्राधिकारी के साथ पंजीकृत न हो। मैं एतद्वारा प्रमाणित करता हूँ कि यह बोलीदाता इस संबंध में सभी आवश्यकताओं को पूरा करता है और विचार किए जाने के योग्य है। (जहां लागू हो, सक्षम प्राधिकारी द्वारा वैध पंजीकरण का साक्ष्य संलग्न किया जाएगा।)"

12. भाग 'क' के खुलने के बाद निविदा में किसी प्रकार के संशोधन करने की अनुमति नहीं होगी।
13. किसी शर्त या सशर्त छूट वाली निविदाओं को अस्वीकृत कर दिया जाएगा। फिर भी जिन निविदाओं में बिना किसी शर्त के छूट दी गई हो उन्हें स्वीकार किया जाएगा।
14. यदि आवेदक द्वारा दी गई कोई भी सूचना बाद में गलत पाई जाती है तो उन्हें भापअ केंद्र में भविष्य में हमेशा के लिए निविदाकरण/कोई भी कार्य करने से रोक दिया जाएगा। यदि कार्य शुरू करने से पहले भी ऐसे उल्लंघन की सूचना, विभाग को प्राप्त होती है तो प्रभारी अभियंता, ईएमडी एवं निष्पादन गारंटी को पूर्ण रूप से जब्त करने के लिए स्वतंत्र होंगे।
15. कार्य को करने के लिए समय की गणना कार्य शुरू करने के लिए कार्य आदेश जारी किए जाने के 15वें या कार्य शुरू करने की वास्तविक तिथि, जो भी पहले हो, के अनुसार की जाएगी।
16. निविदा ऑनलाइन जमा करने की अंतिम तिथि से 120 दिनों के लिए वैध रखी जाएगी। यदि कोई बोलीदाता अपनी निविदा को वैधता अवधि के भीतर और कार्य प्रदान करने से पहले, जो भी पहले हो, वापस ले लेता है या निविदा के नियमों और शर्तों में कोई संशोधन करता है जो विभाग को स्वीकार्य नहीं है, तो सरकार बिना किसी अधिकार या उपाय पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगी, बयाना राशि का 50% (पचास प्रतिशत) पूरी तरह से जब्त करने के लिए स्वतंत्र रहे। इसके अलावा, बोलीदाता को कार्य की पुनः निविदा प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
17. यदि निविदा प्रक्रिया शुल्क एवं ईएमडी के लिए मूल दस्तावेज प्राप्त करने की तथा निविदा खुलने की अंतिम तारीख को छुट्टी घोषित की जाती है तो उक्त तारीख को तदनुसार आगे के कार्य दिवस तक स्थगित माना जाएगा।
18. संभावित बोलीदाता को 1(iv) में बताए अनुसार एफडीआर/डीडी/बीसी/बीजी जैसे ईएमडी दस्तावेजों की स्कैन की हुई कॉपी अपलोड करनी चाहिए। खंड 11 में वर्णित ईएमडी दस्तावेजों और शपथ पत्र की मूल प्रतियां "महाप्रबंधक, आर एंड डब्ल्यूएम, आईएनआरपीओ, एनआरबी, बीएआरसी, तारापुर, पता: "बीएआरसी तारापुर कॉम्प्लेक्स, पोस्ट- धिवली, तालुका और जिला-पालघर" के कार्यालय में जमा की जाएंगी।, पिन- 401502, महाराष्ट्र" भाग-ए खोलने से पहले, ऐसा न करने पर निविदा खारिज कर दी जाएगी।
19. बिल के समग्र रकम की 2.5% की दर से प्रतिभूति जमा की वसूली, ठेकेदार के प्रत्येक चालू बिल तथा अंतिम बिल से तब तक की जाएगी जब तक कि वसूली गई कुल राशि कार्य के निविदाकृत मूल्य के 2.5% के प्रतिभूति जमा के बराबर न हो जाए। प्रतिभूति जमा किसी अनुसूचित बैंक का डिमांड ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक के रूप में भी स्वीकार किया जाएगा। किसी अनुसूचित बैंक के फिक्सड डिपॉजिट रसीद को भी स्वीकार किया जाएगा।
20. इसके अतिरिक्त ठेकेदार को कार्य आदेश जारी किए जाने की तिथि से 15 दिन के अंदर अथवा कार्य प्रारंभ करने से पहले, जो भी पहले हो, जमा किये जाने के लिए किसी अनुसूचित बैंक के डिमांड ड्राफ्ट/फिक्सड डिपॉजिट रसीद/ बैंक गारंटी/बैंकर्स चेक के रूप में कार्यनिष्पादन गारंटी के रूप में ठेका के निविदा मूल्य के 5% की समतुल्य राशि को निष्पादन प्रतिभूति के रूप में जमा करना होगा।
21. यदि सफल निविदाकार कार्य प्रारंभ करने की लिखित आदेश की तारीख से 15वें दिन को या उससे पहले निर्धारित निष्पादन गारंटी प्रस्तुत करने में विफल रहते हैं तो विभाग (भापअ केंद्र) किसी अन्य अधिकार या उपाय पर बिना किसी प्रतिकूल प्रभाव के, उक्त बयाना राशि को **बिना किसी नोटिस के** पूर्ण रूप से जब्त कर सकता है।
22. निविदा की स्वीकृति विभाग के पास सुरक्षित है जो सबसे कम मूल्य की निविदा को स्वीकृत करने के लिए बाध्य नहीं है एवं इसके पास किसी भी निविदा अथवा सभी निविदाओं को बिना कोई कारण बताये अस्वीकृत करने का अधिकार है। वे सभी निविदाएं, जिनमें निर्धारित शर्तें पूरी न की गयी हों अथवा जो किसी भी दृष्टि से अपूर्ण होंगी उन्हें अस्वीकृत कर दिया जाएगा।
23. निविदा के संबंध में किसी भी प्रकार की सिफ़ारिश करना सख्त मना है तथा जो ठेकेदार सिफ़ारिश करेगा उसकी निविदा अस्वीकृत कर दी जाएगी।
24. विभाग समस्त निविदा अथवा निविदा के किसी भाग को स्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है एवं निविदाकार अपने द्वारा दी गयी दर पर कार्य करने के लिए बाध्य होगा।

25. i) कोट किए गये दर में माल एवं सेवा कर (जीएसटी) शामिल होगा तथा ठेकेदार द्वारा देय होगा एवं एनआरबी, बीएआरसी इस संबंध में किसी भी दावे पर विचार नहीं करेगी। ठेकेदार को माल एवं सेवाकर (जीएसटी) के अंतर्गत पंजीकृत होना चाहिए तथा कार्य पर वर्तमान आदेश के अनुसार लागू जीएसटी ठेकेदार द्वारा संबंधित कर प्राधिकारियों को भुगतान किया जाएगा।
- ii) यथा लागू श्रम कल्याण उपकर ठेकेदार को भुगतान किये गये प्रत्येक बिल से वसूल की जाएगी।
- iii) आयकर, जीएसटी टीडीएस एवं अन्य कोई कर जैसा लागू हो, ठेकेदार को भुगतान किये गये प्रत्येक बिल से काटा जाएगा।
- vi) सभी कर्मियों को लागू न्यूनतम मजदूरी देनी होगी।
- v) ठेकेदार को ईपीएफ एवं ईएसआईसी के अधीन पंजीकृत होना चाहिए। ठेकेदार को ठेका कर्मियों के एफ एवं ईएसआईसी को संबंधित एजेंसी को जमा करना होगा। इस बात से संतुष्ट होने के बाद कि ईपीएफ एवं ईएसआईसी को वास्तविक रूप से एवं असली रूप में ठेकेदार द्वारा अदा किया गया है, ईपीएफ एवं ईएसआईसी (दोनों का नियोक्ता का अंशदान) विभाग द्वारा प्रतिपूर्ति की जाएगी। बिडर को ईपीएफ एवं ईएसआईसी को अपने दर में नहीं मानना चाहिए।

26. जिन सफल बोलीकर्ता की निविदा स्वीकार की जाती है उन्हें बीएआरसी के अंदर काम करने वाले अपने सभी कार्मिकों जैसे: इंजीनियरों, पर्यवेक्षकों एवं मजदूरों का अपने खर्च पर पुलिस विभाग द्वारा जारी पुलिस सत्यापन प्रमाणपत्र (पीवीसी) प्राप्त करना आवश्यक होगा।

सुरक्षा जांच के बाद यदि ठेकेदार/कंपनी/फर्म/प्रोपराइटर और/अथवा उसके ठेके के कार्मिकों के विरुद्ध कोई प्रतिकूल चार्टर तथा पूर्ववृत्त की अभ्युक्ति/अधिसूचना प्राप्त होती है तो भापअ केंद्र, बिना कोई कारण बताए/बिना 'कारण बताओ नोटिस' जारी किए तुरंत ठेके को समाप्त करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। ऐसी परिस्थिति में ठेकेदार के पास यह अधिकार नहीं होगा कि भापअ केंद्र द्वारा की गई उपरोक्त कार्रवाई के परिणामस्वरूप यदि उसका कोई नुकसान/दियता हो तो उसकी भरपाई के लिए वह दावा करे। पऊवि/भापअ केंद्र द्वारा समय-समय पर जारी सुरक्षा अनुदेश का पालन ठेकेदार द्वारा नहीं करने पर भापअ केंद्र के पास यह अधिकार होगा कि वह सरकार के पास जमा निष्पादन प्रतिभूति और/अथवा प्रतिभूति जमा आंशिक अथवा पूर्ण रूप से जब्त कर ले।

अनुदेश :

27. ठेकेदार को <https://eprocure.gov.in//eprocure/app> के साथ पंजीकृत होना चाहिए। जो ठेकेदार ऊपर उल्लेखित वेबसाइट पर पंजीकृत नहीं हैं, उन्हें पंजीकृत होना जरूरी है। यदि आवश्यक हो, वेबसाइट पर उपलब्ध ब्योरे के अनुसार, उन्हें ऑनलाइन बोली प्रक्रिया के लिए प्रशिक्षण दिया जा सकता है।
28. उपरोक्त उल्लिखित समय तथा तारीख तक निविदाएं ऑनलाइन प्राप्त हो जानी चाहिए। उपरोक्त उल्लिखित समय एवं तारीख पर भाग 'क' खोली जाएगी। सर्वप्रथम मूल ईएमडी की जांच की जाएगी। यदि इन्हें सही पाया गया तो भाग 'क' खोला जाएगा। भाग 'क' खोलने के पश्चात, मूल्यांकन के लिए ठेकेदार के जारी/पूर्ण किए गए कार्य क्षेत्र एवं कार्यालय का निरीक्षण किया जाएगा और उनके तकनीकी वाणिज्यिक बोली से संबंधित दस्तावेजों का मूल्यांकन किया जाएगा और तदनुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा निविदाकारों को योग्य/अयोग्य घोषित किया जाएगा। तब योग्यता प्राप्त सफल निविदाकारों की निविदा के भाग 'ख' (वित्तीय बोली) को अधिसूचित तारीख एवं समय पर खोला जाएगा। भाग 'ख' (वित्तीय बोली) खुलने की तारीख की सूचना सभी योग्य बोलीकर्ताओं को ई-मेल द्वारा भेजी जाएगी।
29. निविदा खुलने के बाद ठेकेदार लॉग इन करके बोली खुलने के बाद उसकी स्थिति देख सकते हैं।
30. बोलीदाता को प्रत्येक वस्तु की दर कोट करना सुनिश्चित करना चाहिए। इस निविदा दस्तावेज के साथ <https://eprocure.gov.in/eprocure/app> पर वित्तीय बोली BoQ_XXXX.xls के रूप में उपलब्ध कराई गई है। बोलीदाताओं को सलाह दी जाती है कि वे इस BoQ_XXXX.xls को वैसे ही डाउनलोड करें और अपनी दरों को अनुमत (असुरक्षित) सेल में उद्धृत करें जो अलग-अलग रंगों और अन्य विवरणों (जैसे बोली लगाने वाले का नाम) में दिखाई देता है। कोई अन्य सेल नहीं बदला जाना चाहिए। एक बार विवरण पूरा हो जाने के बाद, बोलीदाता को फ़ाइल नाम बदले बिना इसे सहेजना चाहिए और इसे ऑनलाइन जमा करना चाहिए। बोलीदाता डाउनलोड किए गए मूल्य बोली टेम्पलेट में किसी भी तरह से छेड़छाड़/संशोधन नहीं करेगा।
31. बोलीदाता द्वारा बोली जमा करने की अवधि के भीतर मूल रूप से स्कैन और अपलोड किए जाने वाले दस्तावेजों की सूची:
- i) सीए द्वारा प्रमाणित वित्तीय टर्न ओवर (अधिमानत: यूडीआईएन के साथ)।
- ii) मार्च 2023 को समाप्त होने वाले पिछले 5 वित्तीय वर्षों के लिए लाभ और हानि विवरण सीए द्वारा प्रमाणित (अधिमानत: यूडीआईएन के साथ)।
- iii) नवीनतम बैंक सॉल्वेंसी प्रमाणपत्र।

- iv) कार्य के निष्पादन के लिए आवश्यक निर्माण संयंत्रों और मशीनरी/उपकरणों की सूची
- v) कार्य के निष्पादन के लिए आवश्यक तकनीकी कर्मचारियों की सूची
- vi) पैन (स्थायी खाता संख्या) कार्ड
- vii) एफडीआर/डीडी/बीसी/बीजी जैसे ईएमडी दस्तावेजों की प्रतिलिपि
- viii) पिछले सात वर्षों में पूरे किए गए समान कार्यों की सूची जिसमें i) एजेंसी जिसके लिए निष्पादित किया गया है, ii) कार्य का मूल्य, iii) पूरा होने का निर्धारित और वास्तविक समय, iv) ग्राहकों से पात्र समान कार्यों के प्रदर्शन प्रमाण पत्र। उपलब्ध कार्यों की सूची जिसमें निम्नलिखित दर्शाया गया है: i) एजेंसी ii) कार्य का मूल्य, iii) पूरा होने का निर्धारित समय/वर्तमान स्थिति।
- ix) प्रमाणपत्र:
- क) पंजीकरण प्रमाणपत्र, यदि कोई हो
- बी) कार्य अनुभव प्रमाण पत्र/प्रदर्शन प्रमाण पत्र
- ग) जीएसटी पंजीकरण प्रमाणपत्र
- घ) पीएफ पंजीकरण प्रमाण पत्र।
- x) यह वचन देना कि पात्र समान कार्यों को बैंक टू बैंक आधार पर किसी अन्य ठेकेदार के माध्यम से निष्पादित नहीं किया गया है।
- xi) अनुबंध की सामान्य शर्तों के भाग ए: खंड II और खंड 11 के अनुसार घोषणा।
- xii) वैध विद्युत लाइसेंस, यदि लागू हो
- xiii) घोषणा कि बोली लगाने वाले को 3(एल) में वर्णित अनुसार वर्जित नहीं किया गया है।
- xiv) कंपनी के लेटर हेड में अनुलग्नक- II में संलग्न प्रारूप में आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 206AB के अनुसार वचनबद्धता।
- xv) अनुलग्नक-III के अनुसार सार्वजनिक खरीद (मेक इन इंडिया को प्राथमिकता) में परिभाषित "श्रेणी-I स्थानीय आपूर्तिकर्ता" होने के संबंध में आधिकारिक लेटर हेड में वचनबद्धता

ध्यान दें: तकनीकी मूल्यांकन के दौरान प्रासंगिक दस्तावेज, यदि कोई हो, प्रस्तुत करने के लिए निरीक्षण समिति द्वारा कहा जा सकता है।

टिप्पणी:

1. पंजीकृत बोलीदाता केवल निविदाएं जमा/अपलोड कर सकते हैं।
2. इच्छुक एजेंसियां पंजीकरण के लिए वेबसाइट <https://eprocure.gov.in/eprocure/app> पर जा सकती हैं।
3. संपर्क या सहायता/स्पष्टीकरण (02525) 286 164 / 286 253 / 265 759।

फैक्स: (02525) 244200

4. ई-टेंडरिंग में पंजीकरण एवं भागीदारी हेतु सहायता हेतु संपर्क करें:

क) श्री. भूषण कुमार और श्री. मयूर जाधव फ़ोन नं. 022-25487480

बी) किसी भी तकनीकी संबंधित प्रश्न के लिए कृपया 24 x 7 हेल्प डेस्क नंबर पर कॉल करें।

1) 0120-4001 002

2) 0120-4001 005

3) 0120-6277 787

5. साइट विजिट/स्पष्टीकरण हेतु अनुरोध भेजने हेतु ईमेल आईडी

प्रति: rsingh_ta@barc.gov.in, vkpathak@barc.gov.in, Sureshhuda@barc.gov.in

यदि एनआईटी के अंग्रेजी एवं हिंदी पाठ के बीच कोई अंतर हो तो अंग्रेजी पाठ को सही माना जाएगा।

महाप्रबंधक

आर एंड डब्ल्यूएम, एनआरबी, बीएआरसी, तारापुर

(भारत के राष्ट्रपति के लिए और उनकी ओर से)

निविदा सूचना : बीएआरसी(टी)/एनआरबी/आरपी/एमईसीएच/यू / टीआरपी/ 2024/ओपीए- 1081

दिनांक: 26 -06-2024

- iv) कार्य के निष्पादन के लिए आवश्यक निर्माण संयंत्रों और मशीनरी/उपकरणों की सूची
v) कार्य के निष्पादन के लिए आवश्यक तकनीकी कर्मचारियों की सूची
vi) पैन (स्थायी खाता संख्या) कार्ड
vii) एफडीआर/डीडी/बीसी/बीजी जैसे ईएमडी दस्तावेजों की प्रतिलिपि
viii) पिछले मात वर्षों में पूरे किए गए समान कार्यों की सूची जिसमें i) एजेंसी जिम्मेदार के लिए निष्पादित किया गया है, ii) कार्य का मूल्य, iii) पूरा होने का निर्धारित और वास्तविक समय, iv) ग्राहकों में पात्र समान कार्यों के प्रदर्शन प्रमाण पत्र।
उपलब्ध कार्यों की सूची जिसमें निम्नलिखित दर्शाया गया है: i) एजेंसी ii) कार्य का मूल्य, iii) पूरा होने का निर्धारित समय/वर्तमान स्थिति।
ix) प्रमाणपत्र:
क) पंजीकरण प्रमाणपत्र, यदि कोई हो
ख) कार्य अनुभव प्रमाण पत्र/प्रदर्शन प्रमाण पत्र
ग) जीएसटी पंजीकरण प्रमाणपत्र
घ) पीएफ पंजीकरण प्रमाण पत्र।
x) यह बचन देना कि पात्र समान कार्यों को बैंक टू बैंक आधार पर किसी अन्य ठेकेदार के माध्यम से निष्पादित नहीं किया गया है।
xi) अनुबंध की सामान्य शर्तों के भाग ए: खंड II और खंड 11 के अनुसार घोषणा।
xii) बैंड विद्युत लाइसेंस, यदि लागू हो
xiii) घोषणा कि बोली लगाने वाले को 3(एल) में वर्णित अनुसार वर्जित नहीं किया गया है।
xiv) कंपनी के लेटर हेड में अनुलग्नक- ii में मंलग्न प्रारूप में आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 206AB के अनुसार बचनवद्धता।
xv) अनुलग्नक-III के अनुसार सार्वजनिक खरीद (मेक इन इंडिया को प्राथमिकता) में परिभाषित "श्रेणी-I स्थानीय आपूर्तिकर्ता" होने के संबंध में आधिकारिक लेटर हेड में बचनवद्धता

ध्यान दें: तकनीकी मूल्यांकन के दौरान प्रारंभिक दस्तावेज, यदि कोई हो, प्रस्तुत करने के लिए निरीक्षण समिति द्वारा कहा जा सकता है।

टिप्पणी:

1. पंजीकृत बोलीदाता केवल निविदाएं जमा/अपलोड कर सकते हैं।
2. डब्ल्यूक एजेंसियां पंजीकरण के लिए वेबसाइट <https://eprocure.gov.in/eprocure/app> पर जा सकती हैं।
3. संपर्क या सहायता/स्पष्टीकरण (02525) 286 164 / 286 253 / 265 7591

फैक्स: (02525) 244200

4. ई-टेंडरिंग में पंजीकरण एवं भागीदारी हेतु सहायता हेतु संपर्क करें:

क) श्री. भूपण कुमार और श्री. मयूर जाधव फ़ोन नं. 022-25487480

ख) किसी भी तकनीकी संबंधित प्रश्न के लिए कृपया 24 x 7 हेल्प डेस्क नंबर पर कॉल करें।

1) 0120-4001 002

2) 0120-4001 005

3) 0120-6277 787

5. साइट विजिट/स्पष्टीकरण हेतु अनुरोध भेजने हेतु ईमेल आईडी

प्रति: rsingh_ta@barc.gov.in, vkpathak@barc.gov.in, Sureshhuda@barc.gov.in

यदि एनआईटी के अंग्रेजी एवं हिंदी पाठ के बीच कोई अंतर हो तो अंग्रेजी पाठ को सही माना जाएगा।

शाजीव सिंह
निविदा अधिकारी

क.एस.वासुदेवन / K. S. Vasudevan

महाप्रबंधक (आर&एम डब्ल्यूएम)
आर एंड डब्ल्यूएम, एनआरबी, बीएआरसी (आर&एम डब्ल्यूएम)
General Manager (R&WM)
(भारत के राष्ट्रपति के लिए और उनकी आजीवन)
आई.एन.आर.पी (ओ) / INRP(O)
ना.पु.बो (ता) / NRB(T)
भा.प.अ.कें तारापुर / BARC, Tarapur
पोस्ट घिवली, ता. एवं जि. पालघर 401502
Po: Ghivali, Tal. & Dist. Palghar 401502